

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936

No. 381]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 531 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 475(अ), तारीख 10 जुलाई, 2007 को प्रकाशित केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य सड़कों, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं, के विकास और रखरखाव से संबंधित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों की बाबत केंद्रीय सड़क निधि के उपयोग के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “अधिनियम” से, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) अभिप्रेत है ;
(ख) “कोर नेटवर्क” से, किसी राज्य में चयनित राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों से बना ऐसा नेटवर्क अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत किया जाना संभाव्य है ;
(ग) “कार्यपालक अभिकरण” से अभिप्रेत है-
(i) संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, उसका प्रशासक जिसे केंद्रीय सरकार ने, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों के निष्पादन के संबंध में कृत्यों का प्रत्यायोजन किया है ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, राज्य सरकार, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन ऐसे कृत्यों का प्रत्यायोजन किया है ;

(घ) “एक्सप्रेस मार्ग” से, केवल द्रुतगामी यानों को अनुज्ञा देने वाले विभाजित वहन मार्ग, नियंत्रित पहुंच, चौराहों पर श्रेणी पृथक्करण और घेराबंदी वाले राजमार्ग अभिप्रेत हैं और ये या तो “राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग” (भारत सरकार के स्वामित्व वाले) या “राज्य एक्सप्रेस मार्ग” (संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व वाले) हो सकेंगे ;

(ङ.) “प्ररूप” से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) “मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर)” से, संबंधित राज्य सरकार द्वारा किसी जिले के भीतर “मुख्य जिला सड़कों” के रूप में अधिसूचित महत्वपूर्ण सड़क अभिप्रेत हैं ;

(छ) “राष्ट्रीय राजमार्गों” (एनएच) से, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजमार्ग अभिप्रेत हैं ;

(ज) “ग्रामीण सड़कों” से राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों से भिन्न, ग्रामीण क्षेत्रों में काम आने वाली और अन्य मुख्य सड़कों तथा ग्रामों और ग्रामों के समूहों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली और किसी उच्चतर प्रवर्ग की निकटतम सड़क को जोड़ने वाली सड़कें अभिप्रेत हैं ;

(झ) “राज्य राजमार्गों (एसएच)” से, संबंधित राज्य सरकार द्वारा “राज्य राजमार्ग” के रूप में अधिसूचित किसी राज्य की मुख्य सड़कें अभिप्रेत हैं ;

(ञ) “स्कीम” से, राज्य सड़कों के विकास के लिए स्कीम अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं और स्कीम के अंतर्गत संसद् के सदनों द्वारा पारित तारीख 13 मई, 1988 को केंद्रीय सड़क निधि को शासित करने वाले संकल्प द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अधीन मंजूर राज्य सड़कों के विकास से संबंधित स्कीमों भी हैं ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. निधि का आबंटन- कार्यपालक अभिकरणों को निधि का आबंटन तीस प्रतिशत वरीयता ईंधन खपत और सत्तर प्रतिशत वरीयता संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।

4. परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों की बाबत निधि का उपयोग- अधिनियम की धारा 7 के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, निधि का उपयोग राज्य सड़कों के सन्निर्माण और विकास से संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के लिए होगा जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व की सड़कें भी हैं, किन्तु जिनके अंतर्गत ग्रामीण सड़कें नहीं हैं और जिनकी पहचान नियम 5 के अनुसार की जानी है।

5. राज्य सड़कों, जिनके अंतर्गत आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक संयोजकता वाली सड़कें भी हैं, के अधीन स्कीमों की पहचान और पूर्विकता-

(1) केंद्रीय सरकार, निधियों के उन्मोचन के लिए कार्यपालक अभिकरणों के परामर्श से परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों की पहचान और पूर्विकता तय करेगी और कार्यपालक अभिकरण मानदंड का पालन करेंगे और स्कीमों की पहचान और पूर्विकता को सुकर बनाने के लिए इन नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों के आवश्यक ब्यौरे केंद्रीय सरकार को देंगे।

(2) यदि इस प्रकार पहचान की गई सभी परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों को निधि में संसाधनों की कमी के कारण मंजूर नहीं किया जा सके तो केंद्रीय सरकार राज्य सड़कों, जिसके अंतर्गत आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक

संयोजकता वाली सड़कें भी हैं, पर परियोजनाओं, स्कीमों या क्रियाकलापों की पूर्विक्ता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार तय करेगी, अर्थात्: --

(क) पूर्विक्ता केवल कोर नेटवर्क से संबंधित परियोजनाओं को दी जाएगी और कोर नेटवर्क के भीतर पूर्विक्ता निम्नलिखित क्रम में नियत की जाएगी-

- (i) ऐसी संभाव्य सड़कें, जिन्हें नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण समझा गया है ;
- (ii) राज्य राजमार्ग ;
- (iii) मुख्य जिला सड़कें ; और
- (iv) अन्य जिला सड़कें :

परंतु किसी चयनित खंड पर स्कीम की पहचान करते समय, पूर्विक्ता निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी-

- (i) रेल उपरिगामी पुल (आरओबी) और रेल अधोसेतु (आरयूबी) ;
- (ii) पुलों का सन्निर्माण ;
- (iii) राज्य सीमा पर सड़क सुरक्षा और पुल परियोजनाओं का सन्निर्माण ;

(ख) महत्वपूर्ण बाजार केंद्र, आर्थिक परिक्षेत्र, औद्योगिक परिक्षेत्र कृषि क्षेत्र, पर्यटक केंद्र, धार्मिक केंद्र, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना जैसे श्मशान घाट, स्नान घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय और समाज के कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को फायदा पहुँचाने वाले सार्वजनिक उपयोगिताओं के स्थानों को या तो प्रत्यक्षतः जोड़ने वाले या उनकी ओर जाने वाले राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कें, नौघाट सड़कें और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें और इसी प्रकार की अन्य सड़कें, जहां पर महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, को आर्थिक महत्व की परियोजनाएं माना जाएगा ;

(ग) दो पार्श्वस्थ राज्यों के बीच सीधे संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों पर सीमा पर अंतरराज्यिक सड़कों या पुलों को अंतरराज्यिक संयोजकता वाली परियोजना के रूप में समझा जाएगा ।

6. स्कीमों के चयन के लिए मानदंड-

(1) स्कीमों में माने जाने वाले संकर्मों के प्रकारों में निम्नलिखित होंगे-

- (i) पारगामी जल निकास संकर्मों का सन्निर्माण या पुनरुद्धार, सड़कों का चौड़ा या सुदृढ़ करना, सड़क ज्यामितियों में सुधार ;
- (ii) यातायात संगमों, सड़क चिह्नांकन, सिगनलों में सुधार करने वाले सड़क सुरक्षा संकर्मों का इंजीनियरी पहलू, अधोमार्गों, उपरिगामी पुलों का सन्निर्माण, पार्किंग, उपमार्गों, बस शेडों और इसी प्रकार के अन्य सन्निर्माण ;
- (iii) राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य राजमार्गों के साथ-साथ बाईपास, समानांतर सहायक सड़कों का सन्निर्माण ;
- (iv) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मुद्रिका सड़कों, बाईपासों या सहायक सड़कों के लिए पूर्व सन्निर्माण क्रियाकलाप ;
- (v) कार्यपालक अभिकरणों का सड़क विकास के कारण केंद्रीय सरकार के प्रति उत्पन्न दायित्व पूरा करना ।

(2) प्रस्ताव में पर्याप्त लम्बाई की सड़कें होंगी और साधारणतया कम से कम दस किलोमीटर लम्बाई की होंगी जब तक कि दो स्थानों को जोड़ने के लिए अपेक्षित लम्बाई, जहां तक उपनियम (1) में उल्लिखित संकर्मों का संबंध है, दस किलोमीटर से कम न हो और उसमें केवल वे संकर्म होंगे जहां भूमि उपनियम (1) के खंड (iv) में उल्लिखित संकर्मों के सिवाय बिना किसी विल्लंगम के उपलब्ध हो।

(3) अंतरराज्यिक संयोजकता की राज्य सड़कों और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के अधीन प्रस्तावित परियोजना की प्राक्कलित लागत सामान्यतया दस करोड़ रुपए से कम और पचास करोड़ रुपए से अधिक तब तक नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात नहीं हो और उन सड़कों की बाबत अंतिम तीन वर्षों में कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है।

(4) कार्यपालक अभिकरण, केंद्रीय सरकार को आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराएगा जिन्हें राज्य सड़क मानचित्र में निधि के अधीन पहले ही अनुमोदित सड़कों के अतिरिक्त जिला सीमाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों या अन्य प्रकार की सड़कों को विभिन्न रंगों में उपदर्शित करते हुए दर्शाया जाएगा और अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व के व्यौरों सहित, सड़कों और पुल परियोजनाओं की संख्या वाली एक पृथक सूची उपलब्ध कराएगा और उसके अंतर्गत उसका न्यायोचित्य भी होगा।

(5) परियोजना का चयन, यथास्थिति, संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सड़क नेटवर्क के संतुलित विकास के दृष्टिकोण से किया जाएगा और प्रस्तावों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे-

(i) कार्य और जिलों के नाम ;

(ii) क्षेत्र और प्रस्तावित सड़क या पुल या विकास संकर्म को दर्शाने वाला सूचक मानचित्र ;

(iii) सुधार किए जाने के लिए प्रस्तावित सड़क का प्रवर्ग चाहे राज्य राजमार्ग हो या मुख्य जिला सड़क ;

(iv) कार्य का प्रकार, जिसके अंतर्गत संक्षेप में अपनाए गए विनिर्देश भी हैं ;

(v) लम्बाई ;

(vi) वास्तविक अपेक्षाओं पर आधारित परियोजना की प्राक्कलित लागत और प्राक्कलित वास्तविक लागत ;

(vii) इस योजना में सम्मिलित करने के लिए कार्य का न्यायोचित्य जिसके साथ इस सड़क पर किए गए अंतिम सुधार कार्य और उस वर्ष के व्यौरे हों जिसमें ऐसा कार्य किया गया था ;

(viii) प्रारंभ करने की संभावित तारीख ;

(ix) पूरा करने की लक्ष्य तारीख ;

(x) परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण विल्लंगमों रहित भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रमाणपत्र ;

(xi) एक प्रमाणपत्र, जिसमें संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र ऐसी सड़क परियोजनाओं का, उनके इस स्कीम के अधीन विकसित किए जाने के पश्चात्, समुचित रखरखाव और मरम्मत करना सुनिश्चित करेंगे ;

(xii) पूर्व में अनुमोदित चालू परियोजनाओं के परियोजनावार व्यौरे, जिसमें उनकी अनुमोदित लागत केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन की तारीखें, कार्यपालक अभिकरणों द्वारा दी गई तकनीकी और वित्तीय मंजूरी, संकर्मों के प्रदान किए जाने की तारीख, संकर्मों (निर्मोचित निधियों और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों, यदि कोई हों, सहित भौतिक और वित्तीय दोनों) की प्रगति की प्रास्थिति सहित उसके विलंब, यदि कोई हो, आदि के कारण उपदर्शित हों ; और

(xiii) ऐसी अनुमोदित परियोजना की, जो नियम 7 के उपनियम (4) के अनुसार विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर तकनीकी और वित्तीय रूप से मंजूर और प्रदत्त नहीं की गई थी, मंजूरी रद्द किए जाने की सूचना का उसके व्यौरों सहित प्रमाणपत्र और यदि ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी पहले ही रद्द नहीं की गई है तो प्रस्ताव के साथ ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी को रद्द करने का प्रस्ताव या अनुरोध होगा।

7. स्कीमों का अनुमोदन और वित्त पोषण-

(1) राज्य सड़कों से संबंधित स्कीमों का अनुमोदन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) केंद्रीय सरकार के मद्दे सड़कों के विकास से संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा उत्पन्न दायित्व के बराबर राशि को पहले दायित्व पूरा करने के लिए रखा जाएगा ;

(ख) तत्पश्चात् निधि का उपयोग स्कीम के अधीन पहले ही मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा और अतिशेष आबंटनों का उपयोग मंजूर किए जाने वाले नए संकर्मों के लिए किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, पहचान किए गए व्यष्टिक संकर्मों का प्रशासनिक अनुमोदन नियम 6 के उपनियम (5) के अनुसार कार्यपालक अभिकरण द्वारा अग्रेषित व्यौरों के आधार पर करेगी।

(3) कार्य की तकनीकी और वित्तीय मंजूरी संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा की जाएगी और कार्यों के प्रकार में उन कार्यों के प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किए गए हैं।

(4) कार्यपालक अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि व्यष्टिक परियोजना को, कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर तकनीकी रूप से अनुमोदित और वित्तीय रूप से मंजूर कर दिया गया है जिसके असफल होने पर कार्य की मंजूरी को रद्द किया गया समझा जाएगा।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट कार्य की मंजूरी और मंजूर किए गए संकर्मों के लागत प्राक्कलन के सार की प्रति केंद्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति के आवेदन के साथ अग्रेषित की जाएगी।

(6) अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व से संबंधित स्कीमों का अनुमोदन अखिल भारतीय पूर्विकता के आधार पर हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 5 में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा और यह पहचान किए गए व्यष्टिक संकर्मों का प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय अनुमोदन राष्ट्रीय राजमार्ग संकर्मों के लिए लागू विद्यमान प्रक्रिया और मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसरण में करेगी।

(7) प्रस्ताव के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित रकम के दस प्रतिशत से परे कोई अधिक लागत अनुज्ञेय नहीं होगी और आधिक्य, यदि कोई है, तो उसका प्रबंध कार्यपालक अभिकरण द्वारा अपने स्वयं के साधनों से किया जाएगा।

(8) केंद्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) इस स्कीम के अधीन प्रस्तावित सड़कों के लिए विनिर्देश, उन विनिर्देशों के समान होंगे जो पटरी की चौड़ाई, भू-पटल मोटाई और भू-भौतिकी आदि के निर्बंधनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संकर्मों की होती है।

(10) प्रस्तावित किए जाने वाले संकर्मों के मानक डिजाइन और विनिर्देश, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिदेशित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों, संहिताओं, भारतीय सड़क कांग्रेस विनिर्देशों के अनुसरण में होंगे और परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए छत्तीस मास और अन्य के लिए चौबीस मास से अधिक तब तक नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात नहीं कर दी जाए।

(11) भूमि अर्जन के लिए प्राक्कलनों पर नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट मदों के सिवाए विचार नहीं किया जाएगा और कार्यपालक अभिकरण, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र देगा कि सड़क विकास के लिए भूमि उपलब्ध है और उसके कब्जे में है तथा उपयोगी वस्तुओं को, यदि कोई हो, हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(12) अनुमोदित की जाने वाली स्कीमों की कुल लागत मंजूरीयों के अधिकोष तक सीमित होंगी जो सामान्यतया उन पहाड़ी राज्यों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सिवाए वार्षिक आबंटन का दोगुना होगी, जहां कार्य अवधि सीमित है

और इन राज्यों के लिए मंजूरीयों का अधिकोष सामान्यतया उस वर्ष के लिए, जिसमें किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की बाबत स्कीम मंजूर की गई है, वार्षिक आबंटन का तीन गुना होगा।

(13) प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे-

(क) आकस्मिकता हेतु तीन प्रतिशत के बराबर रकम ;

(ख) गुणता आश्वासन प्रणाली और किसी राज्य गुणता मानीटर द्वारा संकर्मों की मानीटरी और कार्यपालक अभिकरण द्वारा गुणता जागरूकता में राज्य के पदधारियों के प्रशिक्षण की योजना बनाने और प्रचालन की लागत को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत के बराबर रकम ;

(ग) गुणता नियंत्रण, संकर्मों की मानीटरी और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के मद्दे लागत को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत के बराबर रकम ;

(घ) कार्य प्रभारित स्थापन के मद्दे आधे प्रतिशत के बराबर रकम।

(14) अभिकरण के प्रभार, स्कीम के अधीन संकर्मों के निष्पादन के लिए संदेय नहीं होंगे।

(15) मंजूर किए गए संकर्म सामान्यतया नियम 6 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई समय अनुसूची के भीतर पूरे किए जाएंगे और कार्यपालक अभिकरण की ओर से किसी न्यायोचित्य कारण के बिना समय-सीमा का पालन करने में असफल रहने की दशा में, कार्यपालक अभिकरण, संकर्मों को पूरा करने की शेष लागत को वहन करने के दायित्वाधीन होगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, कार्यपालक अभिकरण द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से संकर्मों को पूरा किए जाने की अवधि बढ़ा सकेगी।

8. निधियों का उन्मोचन-

(1) आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक संयोजकता की सड़कों से भिन्न राज्य की सड़कों पर संकर्मों पर-

(क) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए चालू वर्ष के लिए आबंटन का एक-तिहाई मंजूर किए गए कार्यों में उपयोग किए जाने के लिए संबंधित कार्यपालक अभिकरण के निस्तारण पर रखा जाएगा और उक्त रकम को पश्चातवर्ती उन्मोचनों से व्यय की पुनःपूर्ति द्वारा आरक्षित के रूप रखा जाएगा:

परंतु पश्चातवर्ती किस्ते, इस शर्त के अध्वधीन, संकर्मों की प्रकृति और वास्तविक व्यय के आधार पर निर्मोचित की जाएंगी कि किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए वर्ष के दौरान उन्मोचित कुल रकम, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की बाबत उस वर्ष के लिए कुल आबंटन और उस रकम से, जो पूर्ववर्ती वर्षों के आबंटन से निर्मोचित नहीं की गई है, अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि यदि किसी मामले में केंद्रीय सड़क निधि के अधीन राज्य सरकारों द्वारा विकसित की गई सड़कों की अपर्याप्त गुणता के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो केंद्रीय सड़क निधि के अधीन उन संकर्मों की, जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, मंजूरी की रकम के बराबर निधियों को रोक दिया जाएगा ;

(ख) कार्यपालक अभिकरण, इन नियमों के साथ उपाबद्ध, प्ररूप 1 में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप 2 में त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप 3 में मासिक व्यय रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, जो गुणता मानीटरी प्रणाली के अधीन नियुक्त व्यक्ति से अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निर्मोचित रकम के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगी।

(2) आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक सड़कों की संयोजकता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संकर्मों के लिए लागू प्रत्यक्ष संदाय प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(3) इन सभी मामलों में आबंटनों और संदायों के लिए बजट उपबंध की समग्र उपलब्धता, अवधारण कारक होगी और तदनुसार विनियमित होगी।

9. संकर्मों का निष्पादन-

- (1) कार्यपालक अभिकरण, निधियों के अधीन मंजूर सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक संयोजकता और आर्थिक महत्व के संकर्म भी हैं, यह अवलोकन करेगा कि-
- (क) सड़क और पुल परियोजनाओं का डिजाइन केंद्रीय सरकार की सुसंगत संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ;
- (ख) संकर्मों की परियोजना मानीटरी और गुणता नियंत्रण, नियमित अंतरालों पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर किसी पद्धतीय रीति में की जाएगी-
- (i) मापों की जांच लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके मैनुअल या संहिता में विनिर्दिष्ट विस्तार तक की जाएगी ;
- (ii) राज्य स्तर या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एक गुणता मानीटरी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें ऐसे विशेषज्ञ और सहायक कर्मचारिवृंद हों, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नियुक्त किए जाएं ;
- (iii) ऊपर मद (ii) में निर्दिष्ट गुणता मानीटरी प्रणाली से, अधिकारियों और ठेकेदारों के उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गुणता आश्वासन (क्यूए) प्रणाली की युक्ति निकाली जाएगी, स्वतंत्र जांच की जाएगी और स्थल अननुरूपता के गुणता आश्वासन प्रलेखीकरण की परीक्षा की जाएगी और उसका, लोक निर्माण विभाग कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण और प्रयोगशाला तथा क्षेत्र जांच सुविधाओं की सिफारिश करने का, उत्तरदायित्व होगा ।
- (2) केंद्रीय सरकार, गुणता मानीटरी प्रणाली के अतिरिक्त संकर्मों के निष्पादन के दौरान प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण के लिए स्वतंत्र गुणता मानीटर के रूप में किसी अधिकारी या अभिकरण को नियुक्त करेगी और ऐसी जांच करेगी जो समय अनुसूची के पालन और समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों :

परंतु किसी सिविल इंजीनियर से, जिसकी न्यूनतम अर्हता सिविल इंजीनियरी में डिग्री हो तथा सड़कों, पुलों और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण और रखरखाव में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, भिन्न किसी ऐसे कार्मिक को संकर्मों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

- (3) वित्त पोषण हेतु निधि गुणता मानीटरी प्रणाली, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए आबंटन के स्तर पर ही निश्चित की जाएगी और नियम 7 के अनुसार कार्यपालक अभिकरणों और केंद्रीय सरकार के निस्तारण पर रखी जाएगी ।
- (4) कार्यपालक अभिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य का नाम और अन्य व्यौरे प्रदर्शित करते हुए परियोजनाओं के दोनों सिरों पर चिह्न लगाएगा ।

10. प्रगति रिपोर्ट और पुनर्विलोकन

- (1) कार्यपालक अभिकरण, नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट प्रगति रिपोर्ट, व्यय रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाणपत्र देगा ।
- (2) आर्थिक महत्व और अंतरराज्यिक संयोजकता की राज्य सड़कों की दशा में, प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट और मासिक व्यय रिपोर्ट की प्रति, कार्यपालक अभिकरण के संबंधित मुख्य इंजीनियर द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इसके द्वारा निदेशित किया जाए, पृष्ठांकित की जाएगी ।
- (3) निधि के लेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
- (4) भौतिक प्रगति के साथ ही व्यय का केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यपालक अभिकरण के साथ तिमाही आधार पर पुनर्विलोकन किया जाएगा और उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।
- (5) कार्यपालक अभिकरण, संकर्मों के पूरा होते ही और निश्चयक रूप से संकर्म के पूरा किए जाने की तारीख से तीस मास की अवधि के भीतर संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित पूर्णता रिपोर्ट या प्रमाणपत्र भेजेगा, जिसमें असफल होने पर संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए आगे कोई और संकर्म तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब

11. केंद्रीय सरकार की शक्ति - केंद्रीय सरकार के पास इस निधि के अधीन किसी अनुमोदित कार्य को अपवर्जित करने का प्राधिकार और अधिकार उस दशा में आरक्षित होगा यदि कार्यपालक अभिकरण इस अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन विरचित नियमों का पालन करने में असफल रहता है।

उपयोगिता प्रमाणपत्र

उप सचिव/संयुक्त सचिव/सचिव

....., सरकार

..... को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए रिपोर्ट

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर

कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग

प्ररूप 3**[नियम 8(1) और 10(2) देखिए]****केंद्रीय सड़क निधि से निष्पादित कार्यों की व्यय रिपोर्ट**

राज्य

मास :

खाते का शीर्ष जिसमें व्यय विकलनीय हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कार्य संख्या	कार्य के लिए अनुमोदित केंद्रीय सहायता की रकम	पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्मोचित निधि का प्रगामी योग	पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कार्यों के लिए कुल व्यय	पूर्व मास की समाप्ति को रिपोर्ट के अधीन वर्ष की 1 अप्रैल से किए गए व्यय	उस मास के दौरान व्यय, जिससे विवरणी संबंधित है	स्तंभ 5, 6 और 7 का कुल योग	टिप्पणियां (यदि कोई हों)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[फा.सं. एनएच-11011/2/2000-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक पीएंडबी

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2014

G.S.R. 531(E).— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000), and in supersession of the Central Road Fund(State roads) Rules, 2007, published in the Gazette of India vide G.S.R. 475 (E), dated the 10th July, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the

following rules for the utilisation of the Central Road Fund in respect of specified projects, schemes and activities relating to development and maintenance of State roads including roads of inter-State connectivity and economic importance, namely:-

1. **Short title, and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000);

(b) “core network” means the network comprising of selected State Highways and Major District Roads in a State, which have the potential to be upgraded as National Highways;

(c) “executive agency” means-

(i) in case of a Union territory, the Administrator thereof to whom the functions of the Central Government in relation to the execution of works pertaining to national highways are delegated under article 239 of the Constitution; and

(ii) in any other case, the State Government to which such functions are delegated under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956);

(d) “Expressways” means the highway with a divided carriageway, controlled access, grade separations at cross-roads and fencing, permitting only fast moving vehicles and it may be either “National Expressways” (owned by the Government of India) or “State Expressways” (owned by the concerned State Government);

(e) “Form” means the form appended to these rules;

(f) “Major District Roads (MDRs) means the important roads within a district notified as “the Major District Roads” by the concerned State Government;

(g) “National Highways” (NHs) means the highways specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956;

(h) “Rural Roads” means “the roads serving the rural areas or other main roads other than the National Highways, the State Highways and the Major District Roads and the roads connecting the villages or groups of villages with each other and connecting nearest road of a higher category;

(i) “State Highways (SHs)” means the arterial roads of a State notified as “State Highways” by the concerned State Government;

(j) “scheme” means the scheme for development of state roads including roads of inter-State connectivity and economic importance and includes the schemes relating to development of State roads sanctioned under the Central Road Fund by the Resolution governing the Central Road Fund as passed by the Houses of Parliament, dated the 13th May, 1988;

(2) All the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Allocation of Fund.**- The allocation of fund to the executive agencies shall be made on the basis of thirty per cent. weightage to fuel consumption and seventy per cent. weightage to the geographical area of the concerned States or Union territories.

4. **Utilisation of Fund in respect of projects, schemes and activities.**- Subject to the provisions specified under section 7 of the Act, the Fund shall be utilised for projects, schemes or activities relating to the construction and development of State Roads including roads of inter-State connectivity and of economic importance, but excluding the Rural Roads, and to be identified in accordance with the rule 5.

5. Identification and prioritisation of schemes under State roads including roads of economic importance and inter-State Connectivity.-

(1) The Central Government shall identify and prioritise the projects, schemes or activities for release of Funds in consultation with the executing agencies and the executing agencies shall observe the criteria and furnish necessary details of the projects, schemes or activities as specified under these rules, to the Central Government to facilitate identification and prioritisation of the schemes.

(2) If, all the projects, schemes or activities so identified cannot be sanctioned due to shortage of resources in the Fund, the Central Government shall prioritise the projects, schemes or activities on State Roads including roads of economic importance and inter-State connectivity as per the following procedure, namely:-

- (a) the priority shall be given to take up projects from the Core Network only and within the Core Network, priority shall be assigned in the following order-
 - (i) the potential roads which are considered as important from the perspective of declaration as new national highways;
 - (ii) the State Highways;
 - (iii) the Major District Roads; and
 - (iv) the other District Roads:

Provided that while identifying the schemes on a selected stretch, priority shall further be given in the following order-

- (i) to the construction of Railway Over Bridges (ROBs) and Railway Under Bridges (RUBs);
 - (ii) to the construction of bridges;
 - (iii) to the construction of road safety and bridge projects on State Border;
- (b) the State highways and major district roads either directly connecting to or leading to an important market centre, economic zone, industrial zone, agricultural region, tourist centre, religious centre, schools and educational institutions, socially important structure, such as cremation grounds, bathing ghats, old-age homes, orphanages and public utilities, benefiting vulnerable sections of the society, such as, the Scheduled castes, the Scheduled tribes, ferry-ghat roads and roads connecting ecologically sensitive areas and the like where significant economic activity is being undertaken shall be considered as the projects of economic importance;
- (c) the inter-State roads or bridges at the border on State highway and major district roads necessary for ensuring through communication between two adjacent States shall be considered as the project of inter-State connectivity;

6. Criteria for selection of Schemes.-**(1) The types of works to be considered in the Scheme shall comprise-**

- (i) the construction or rehabilitation of cross drainage works, widening or strengthening of roads, improvements to road geometrics;

- (ii) the engineering aspects of road safety works covering improvement of traffic junctions, road marking, signalling, construction of subways and over-bridges, construction of parking, lay-byes, bus sheds and the like;
- (iii) the construction of bypasses, parallel service roads along national highways or State highways;
- (iv) the pre-construction activities for ring-roads or bypasses or service roads along National Highways;
- (v) to clear liability of the executing agencies towards the Central Government created on account of road development.

(2) The proposals shall cover sufficient length of road and shall generally be covering **at least ten kilometres length**, unless the requirement for connecting two places is less than ten kilometres in so far as works mentioned in sub-rule (1) are concerned, and shall include only those works where land is available without any encumbrance except for works mentioned in clause (iv) of sub-rule (1).

(3) The estimated cost of the proposed project under state roads of inter-State connectivity and state roads of economic importance shall generally be not less than **ten crore rupees** and not exceeding **fifty crore rupees** unless permitted by the Central Government and no improvement work has been done in the last three years in respect of these roads.

(4) The executive agency shall make available to the Central Government a list of projects to be taken up, which shall be shown on the State road map indicating district boundaries, National Highways, State highways, major district roads, rural roads or other types of roads in different colours, in addition to the roads already approved under the Fund and a separate list containing number of roads and bridge projects of inter-State connectivity and economic importance alongwith details and justification shall also be included.

(5) The projects shall be selected with a view to have a balanced development of the road network in the entire State or the Union territory, as the case may be, and the proposals shall include-

- (i) **the name of the work and districts;**
- (ii) **the index map showing the area and the proposed road or bridge or improvement works;**
- (iii) **the category of the road proposed to be improved whether the State highway or major district road;**
- (iv) **the scope of the work including the specifications to be adopted in brief;**
- (v) **the length;**
- (vi) **the estimated cost of the project based on the actual requirement and realistic cost estimate;**
- (vii) **the justification of work for inclusion in this scheme along with details of last improvement work done on this road and the calendar year in which it was carried out;**
- (viii) **the probable starting date;**
- (ix) **the target date of completion;**
- (x) **a certificate regarding availability of the entire unencumbered land needed for the project;**
- (xi) **a certificate that the concerned State Government or Union territory shall ensure taking up proper Maintenance and Repair (M&R) of the project roads after it is developed under this scheme;**

(xii) the Project-wise details of previous approved ongoing projects, indicating their approved cost, dates of approval accorded by the Central Government, Technical and Financial sanction accorded by the executive agencies, date of award of works, status of progress of works (both physical and financial along with funds released and pending Utilisation Certificates, if any), along with reasons for delay (if any), etc.; and

(xiii) a certificate intimating de-sanctioning of the approved projects which have not been technically and financially sanctioned and awarded within the specified time-line as per sub-rule (4) of rule 7 along with details thereof and if such projects have not been de-sanctioned already, proposal or request for de-sanctioning of such projects shall accompany the proposal.

7. Approval and financing of schemes.-

(1) The approval of schemes relating to State roads shall be done in the following manner, namely:-

(a) A sum equal to the liability created by the executing agency related to development of roads on account of the Central Government shall be first set aside to clear the liability.

(b) Thereafter, the fund shall be utilized to already sanctioned projects under the scheme and the balance allocations shall be utilised for new works to be sanctioned.

(2) The Central Government shall accord administrative approval of the identified individual works on the basis of details forwarded by the executive agency as per sub-rule (5) of rule 6.

(3) The technical and financial sanction of the work shall be accorded by the executive agency concerned and there shall not be any change in scope of work from those as per administrative approval.

(4) The executive agency shall ensure that individual project is technically approved, financially sanctioned within a period of four months from the date of administrative approval of the work failing which the work shall be deemed to have been de-sanctioned.

(5) The copy of the sanction of the work referred to in sub-rule (3) and abstract of cost estimate of the sanctioned works shall be forwarded to the Central Government alongwith the application for reimbursement.

(6) The approval of schemes related to inter-state connectivity and economic importance are based on all India priority which shall be decided by the Central Government based on the criteria specified in rule 5 and it shall accord administrative, technical and financial approval of the identified individual works following the existing procedure and guidelines applicable for National Highways works.

(7) No excess cost beyond ten per cent. of the amount administratively approved for the proposal shall be permissible and the excess, if any, shall be arranged by the executive agency from their own resources.

(8) The revised estimate shall not be considered by the Central Government.

(9) The specifications for roads proposed under this scheme shall be similar to those of National Highways works in terms of pavement width, crust thickness and geometrics, etc.

(10) The standard design and specification of the works to be proposed shall follow the relevant guidelines, codes, Indian Roads Congress specifications as directed by the Central Government and the period of completion of projects shall not exceed thirty six months for hill States, North East states and twenty four months for other States unless permitted by the Central Government.

(11) The estimates for land acquisition shall not be considered except for items referred to clause (iv) of sub-rule (1) of rule 6 and the executive agency shall render a certificate to the effect that land is available for road development and is in its possession and removing of utilities, if any, has been completed.

(12) The total cost of the schemes to be approved shall be limited to the bank of sanctions which shall generally be two times of the annual allocation except for hill States and North-East States where working season is limited and for these States, the bank of sanctions shall generally be three times of the annual allocation for the year in which the schemes are sanctioned in respect of any State or Union territory.

(13) The estimate for each work shall include provisions for-

- (a) an amount equal to three per cent. towards contingency;
- (b) an amount equal to one per cent. for meeting the cost of devising and operation of a Quality Assurance System and monitoring of the works by a State Quality Monitor, and training of the state's officials in quality awareness by the executing agency;
- (c) an amount equal to one per cent. for meeting the cost of quality control, for monitoring of works and towards training, research and development by the Central Government; and
- (d) an amount equal to half per cent. towards work charged establishment.

(14) The agency charges shall not be payable for the execution of works under the scheme.

(15) The sanctioned works generally shall be completed within the time schedule as submitted along with the particulars referred to in sub-rule (5) of rule 6 and in case of failure on the part of the executing agency to adhere to the time limit without any justifiable reasons, the execution agency shall be liable to bear the balance cost for completion of the works:

Provided that, the Central Government may, on being sufficient cause shown by the executing agency, extend the time of completion of works with the reasons to be recorded in writing.

8. Release of funds.-

(1) For works on State roads other than roads of economic importance and inter-State connectivity-

(a) one third of the allocation for the current year for each State or Union territory, as the case may be, shall be placed at the disposal of the concerned executive agency for utilisation against the sanctioned works and the said amount shall be maintained as a reserve by replenishing the expenditure from subsequent releases:

Provided that the subsequent instalments shall be released on the basis of the progress of works and actual expenditure subject to the condition that the total amount released for any State or Union territory during the year shall not exceed the total allocation for that year in respect of that State or Union territory and the amount which has not been released from allocation of previous years:

Provided further that if in any case, the complaint about the poor quality of roads developed by the State Governments under Central Road Fund is received, the funds under Central Road Fund equal to the amount of sanction of the works against which complaint has been received shall be withheld;

(b) the executive agency shall submit the utilisation certificate in Form-I annexed to these rules and shall also submit quarterly progress report in Form-II annexed to these rules and monthly expenditure report in Form-III annexed to these rules, duly verified by the regional officer appointed by the Central Government for the State or the Union territory, for the amount released, duly considering observation report, if any, from the person appointed under the quality monitoring system.

(2) For roads of economic importance and inter-State connectivity, the direct payment procedure applicable for National Highway works shall be followed.

(3) In all these cases, the overall availability of budget provision shall be the determining factor for allocations and the payments shall be regulated accordingly.

9. Execution of works.-

(1) The executive agency shall, for the implementation of all the projects sanctioned under the Fund including inter-State connectivity and economic importance works, observe that.-

(a) the design of the road or bridge projects shall be carried out as per the relevant Central Government codes and guidelines;

(b) the project monitoring and quality control of the works shall be done at regular interval in a methodical manner by adopting the following procedure-

(i) the measurements shall be checked by the officers of Public Works Departments to the extent specified in their Manual or Code;

(ii) there should be a quality monitoring system at the State Level or Union territory level, consisting of such experts and supporting staff as may be appointed by the State Government or Union territory, as the case may be;

(iii) the quality monitoring system referred in item (ii) above shall devise a Quality Assurance (QA) System delineating the requirements of quality, the responsibility of the officers and contractors, conduct independent tests, and examine QA documentation to spot non-conformities and shall have the responsibility of training of PWD staff and recommending laboratory and field testing facilities.

(2) In addition to the quality monitoring system, the Central Government shall depute an officer or agency as an independent quality Monitor to inspect the works every quarter during the execution and exercise such checks as may be necessary to ensure observance of the time schedule and proper implementation:

Provided that no personnel other than a civil engineer having a minimum qualification of degree in Civil Engineering and possessing a minimum of ten years experience in the construction and maintenance of roads, bridges or related infrastructure shall be authorised to inspect the works.

(3) The funds for funding Quality Monitoring System, training, research and development shall be earmarked at the allocation stage itself and placed at the disposal of the executing agencies and the Central Government in accordance with rule 7.

(4) The executive agency shall install signs at both ends of the projects displaying the name of work and other details as per instructions issued by the Government from time to time.

10. Progress reports and review.-

(1) The executive agency shall furnish the progress report, expenditure report and utilisation certificate as specified in clause (b) of sub-rule (1) of rule 8.

(2) In the case of State Roads of economic importance and inter-State connectivity, copy of the quarterly progress report and the monthly expenditure report submitted to the Central Government in Form-II and Form III shall be endorsed to such other officer by the concerned Chief Engineer of the executive agency.

(3) The accounts of the fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him.

(4) The physical progress as well as expenditure shall be reviewed and discussed with executive agency on quarterly basis by the Central Government.

(5) The executive agency shall send completion report or certificate duly verified by the audit as soon as the works are completed and positively within a period of three months from the date of completion of the works, failing which no further works shall be sanctioned to the concerned State or

Union territory till the requisite completion report or certificate in respect of such completed works is received by the Central Government.

11. Power of Central Government.- The Central Government reserves all the authority and right to exclude any approved work under this Fund, in case, if the executive agency fails to comply any of provisions of the Act and the rules framed under the Act.

FORM I

[See rule 8(1) and 10 (2)]

UTILISATION CERTIFICATE

It is to certify that out of an amount of Rs.....crores/lakhs released by the Ministry of Road Transport and Highways, vide letter No.dated....., an amount of Rs.crores/lakhs has been spent on works sanctioned under the Central Road Fund Scheme. It is further certified that expenditure has been incurred on sanctioned works only and has not exceeded the sanctioned cost of individual works.

Deputy Secretary/Joint Secretary/Secretary

Government of.....

FROM-II

[See rule 8(1) and 10 (2)]

PROGRESS REPORT OF WORKS EXECUTED FROM CENTRAL ROAD FUND

Report for the Quarter Ending.....

Sl. No.	Name of the work	Length (Km.)/ M (for Bridges)	Amount of AA (Rs. In lakh)	AA No. and date	Amount of Technical Sanction	Date of sanction	Physical Progress In %		
							Up to the end of previous year	During the Year	Total Progress up to the end of the Quarter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature
Executive Engineer of the PWD

FROM-III**[See rule 8(1) and 10 (2)]****EXPENDITURE REPORT OF WORKS EXECUTED FROM CENTRAL ROAD FUND****State****Month:**Head of Account to which the expenditure is **debitable**:

Sl. No.	Name of the Project	Job No.	Amount of Central assistance approved of the work	Progressive total of funds released upto end of the previous financial year	Total expenditure against the work upto the end of previous financial year	Expendi-true from 1st April of the year under report to the end of the previous month	Expendi-ture during the month to which the return relates	Total of columns 5, 6 and 7	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8		10

[F. No. NH-11011/2/2000-P&M (Pt.)

MAYA PRAKASH, Director (P&B)